

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ओमकार सिंह बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

19/01/2025

07/01/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/01/2026 को पेश हो

09/01/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/06/2024 पारित करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही होना धारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/06/2024 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार काशतकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसम्मत नही होना धारित कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से खारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अपीलार्थी अपील के स्तर पर भी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21/06/2024 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

N